

दिनांक 31.05.2017 को आयोजित पूर्वान्वल विकास निधि की समीक्षा से सम्बन्धित कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31.05.2017 को पूर्वान्वल विकास निधि की समीक्षा से सम्बन्धित मण्डलायुक्त सभागार—गोण्डा के सभागार में पूर्वाह्न 4.30 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी—गोण्डा,बेलरामपुर,श्रावस्ती व मुख्य विकास अधिकारी—गोण्डा, बहराइच,श्रावस्ती व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान पूर्वान्वल विकास निधि के कार्यों की जनपदवार समीक्षा की गई, जो निम्नप्रकार है:-

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता,लो०नि०वि०,प्रान्तीय खण्ड—गोण्डा द्वारा बताया गया कि जनपद—गोण्डा में पूर्वान्वल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में से 15 परियोजनाएँ अभी अपूर्ण हैं, जिसमें 03 परियोजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है, 02 कार्य को 30 जून 2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अवशेष 09 कार्यों को 10 कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिसके लिये मांगपत्र शासन को प्रेषित किया गया है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी—गोण्डा के स्तर से मांग पत्र शासन को प्रेषित किया जाय। कार्यवार समीक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य धर्मैई पण्डित पुरवा में पी०एम०जी०एस०वाई मार्ग से सोहिला फार्म तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड—गोण्डा द्वारा बताया गया कि स्वीकृत लागत 153.19 लाख के सापेक्ष मु० 84.24 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, इस कार्य पर 2.50 कि०मी० लम्बाई में कार्य कराया जाना था, जिसे पूर्ण करा लिया गया है। सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड—1 द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 स्वीकृत कार्य प्रधानमंत्री सड़क से फत्तापुरवा ऊर्चे झंझरी ढलहन पुरवा होते हुये गोण्डा फैजाबाद मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य 4.50 कि०मी० की स्वीकृत राशि 336.15 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि आवंटित हो गई है, जिसमें मु० 240.32 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्य को प्रत्येक दशा में 15 जून 2017 तक पूर्ण कराया जाय तथा निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड—2 द्वारा बताया गया कि धमरैया मार्ग पर अहिरनपुरवा से बक्सैला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य वर्ष 2014–15 में एस०सी०पी० योजनान्तर्गत राज्यांश से स्वीकृत किया गया था, जिसकी लागत 144.86 लाख है तथा लम्बाई 2.00 कि०मी० है। यह भी अवगत

कराया गया कि इस कार्य पर अभी तक मात्र 4.35 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है किन्तु कार्य को पूर्ण करा लिया गया है तथा अवशेष धनराशि की मांग हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। इस कार्य पर लगभग 5 प्रतिशत धनराशि ही प्राप्त होने पर कार्य को पूर्ण करा लिया गया है, स्थिति स्पष्ट की जाय। पूर्वान्वय विकास निधि वर्ष 2016-17 में जिलांश के अन्तर्गत बताया गया कि सभी कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-गोण्डा है। इस सम्बन्ध में अधिशापी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया कि जिलांश के अन्तर्गत रवीकृत कार्यों के सापेक्ष 16 परियोजनाएँ अपूर्ण थीं जिसमें 07 पूर्ण हैं, 07 परियोजनाओं को 15 जून 2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा 02 परियोजनाओं का प्रस्ताव बदला जाना है, जिसमें 01 प्रस्ताव सदर विद्यायक-गोण्डा तथा 01 प्रस्ताव विधान परिषद सदस्य से सम्बन्धित है। निर्देशित किया गया कि अविलम्ब प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार रवीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी-गोण्डा/मुख्य विकास अधिकारी-गोण्डा/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था)

जनपद-बलरामपुर की समीक्षा के दौरान अधिशापी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-बलरामपुर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016-17 में पूर्वान्वय विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत कुल 35 कार्य रवीकृत किये गये थे, जिसमें 26 कार्य सामान्य श्रेणी में तथा 09 कार्य एस0सी0पी0 में रवीकृत किये गये। इन रवीकृत कार्यों में से सामान्य के 18 तथा एस0सी0पी0 के 03 अर्थात कुल 21 कार्य पूर्ण हैं तथा 14 कार्य अभी अपूर्ण हैं। जनपद-बलरामपुर में उत्तरीला वस्ती मार्ग (आसाम रोड) से कुड़ऊ गांव तक लेपन स्तर तक निर्माण कार्य का 540 मी0 कार्य की लागत 25.60 लाख है, जबकि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड-मनकापुर में सांसद निधि के 01 कार्य में 01 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग 24.00 लाख में बनाया जा रहा है। अधिशापी अभियन्ता, ग्रान्तीय खण्ड-लो0नि0वि0, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि दोनों कार्यों की जाँच करकर वस्तु स्थिति से अवगत करायें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्राक्कलन तैयार करते समय शेड्यूल ऑफ रेट्स का विशेष ध्यान रखा जाय। राज्यांश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की 09 परियोजनाएँ अभी अपूर्ण हैं। इन कार्यों पर 10 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है शेष धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। समीक्षोपरान्त अधिशापी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि अवशेष धनराशि हेतु मांग पत्र जिलाधिकारी के स्तर से शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी-बलरामपुर/मुख्य विकास अधिकारी-बलरामपुर/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था)

जनपद-बहराइच की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी-बहराइच द्वारा बताया गया कि पूर्वान्वल विकास निधि जिलांश में वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक कुल 75 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिसमें जिला पंचायत-बहराइच की 42 परियोजनाएं तथा पैक्सफैड-बहराइच की 33 परियोजनाएं सम्मिलित है। सभी 75 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। राज्यांश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक कुल 08 परियोजनाओं की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई थीं, जिसमें से 07 परियोजनाएं पूर्व में ही पूर्ण कर ली गई थीं, 01 परियोजना पर मात्र 20 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई थी। अपर मुख्य अधिकारी-जिला पंचायत-बहराइच द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत-बुढ़नी के मानगढ़ मजरे में भगतराम यादव के घर से मानगढ़ नाला तक 460 मी० खड़न्जा निर्माण कार्य (विठ्ठन-विशेषरगंज) का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी-बहराइच से अपेक्षा की गई कि पूर्वान्वल विकास निधि के निर्माण कार्यों की रेन्डम चेकिंग कराते रहें।

(कार्यवाही जिलाधिकारी-बहराइच/मुख्य विकास अधिकारी-बहराइच/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था) जनपद-श्रावस्ती की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूर्वान्वल विकास निधि योजना में राज्यांश के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक कुल 10 परियोजनाए स्वीकृत की गई हैं जिसमें 04 परियोजनाए पूर्ण हो चुकी है तथा 06 प्रगति पर हैं। अपूर्ण परियोजाओं पर शासन स्तर से धनराशि अपेक्षित है। जिलांश वर्ष 2016-17 के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में कुल 36 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमें सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिलाधिकारी-श्रावस्ती से अपेक्षा की ५ मि. स्टार्टअप विकास निधि के कार्यों का नियमानुसार निरीक्षण/सत्यापन भी कराया जाय।

(गई एक पूर्वान्वयन विकास नीति का कार्यवाही संस्था)
(कार्यवाही जिलाधिकारी—श्रावस्ती/मुख्य विकास अधिकारी—श्रावस्ती/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था)

सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि जनपद स्तर पर तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर पूर्वान्वयन विकास निधि योजनार्त्तगत चल रहे एवं पूर्ण कार्यों का नियमानुसार रेन्डम चेकिंग कराया जाय। सभी तहसील दिवसों में मुख्य विकास अधिकारी मौके पर पूर्वान्वयन विकास निधि के कार्यों की सूची अपने साथ रखेंगे तथा उसी दिन तकनीकी अधिकारियों की टीम द्वारा कार्यों की रेन्डम चेकिंग की जायेगी तथा चेकिंग से सम्बन्धित रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

आयुक्त, ०३/०६/२०१७
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल-गोण्डा।

पत्रांक 125 /बैठक कार्यवृत्त/2017

दिनांक 03-06-2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०-गोण्डा / बाराबंकी वृत्त, गोण्डा / बाराबंकी।

संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।